

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025

क्रमांक-246/का.वि. पत्रक/2025

धार, दिनांक : 28/04/2025

धार जिला एवं सत्र खंड के लिये साम्प्रतिक तथा आपराधिक प्रकरणों का नवीन
संशोधित कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2025 निम्नानुसार प्रसारित किया जाता है :-

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	सम्पूर्ण सत्र खंड, धार	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपील। 3. आपराधिक रिवीजन (न्याय पंचायत रिवीजन छोड़कर)। 4. द.प्र.सं. की धारा 438 एवं 439 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र। 5. द.प्र.सं. की धारा 341 के अन्तर्गत प्रकरण। 6. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रकरण एवं अन्य अधिनियम के प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। 7. दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। 8. सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्य समस्त प्रकरण।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 2. धार तहसील एवं राजस्व तहसील पीथमपुर से संबंधित दुर्घटना में हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति के क्लेम प्रकरण एवं ऐसे क्लेम प्रकरण जो एक ही घटना से संबंधित मृत्यु एवं क्षतिपूर्ति के हों। (पक्षकारगण धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर के निवासी हों अथवा दुर्घटना उपरोक्त तहसील के अंतर्गत घटित हुई हो) 3. धार मुख्यालय पर वर्तमान में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, धार एवं वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र तथा आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपील। 4. सी.पी.सी. की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 6. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपील। 7. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेश की अपील। 8. म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1981 की धारा-20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएँ 9. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लीज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। 10. पांच करोड़ एक रुपये से अधिक के Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण।

			11. पुराने भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013(भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 12. खाद्य सुरक्षा मानक पदार्थ अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली विविध दिवानी अपील। 13. रजिस्ट्री जबलपुर के पृष्ठांकन क. बी/6235/तीन-6-5/18, दिनांक 23/12/22 के अनुसार जिला धार की स्थानीय सीमाओं हेतु अधोसंरचना परियोजना से संबंधित दावों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय। (कार्यालयीन पृष्ठांकन क. 3385/एस.डब्ल्यू/एच.सी-2021, धार, दिनांक 24/12/22)
2.	विशेष न्यायाधीश (अधिकृत अंतर्गत धारा 14, अ.जा. एवं ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं अपर सत्र न्यायाधीश), धार एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	सम्पूर्ण जिला धार	1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि. से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं जमानत आवेदन-पत्र। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण।
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार।	सत्र खंड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण। 3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अन्तर्गत प्रकरण व उत्तसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले प्रकरण। 2. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड व आदेश से उत्पन्न होंगे।
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्रखण्ड/तहसील-धार	1. धार तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। नवीन नोटिफिकेशन जारी होने तक। (माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना क्रमांक बी/1951 जबलपुर दिनांक 23.04.2025) 2. पाक्सों अधिनियम के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत। 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण।

5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार	सत्र खंड-धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों से संबंधित प्रकरण। (तहसील-धार हेतु) (ज्ञापन क्र. सी/1336/तीन-2-41/76, दिनांक 21.03.2017, के आलोक में विविध कार्यालयीन आदेश क्रमांक 01/एस.डब्ल्यू/कार्य.विभा0/2025, धार दिनांक 06/01/2025) 3. धार एवं बदनावर न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियाँ। (अधिसूचना क्र. सी/2054 Electricity Act तीन-6-4/2003, जबलपुर, दिनांक 06/03/2025) जोड़ा जाता है।
		तहसील-धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र तिरला, सादलपुर एवं माण्डव से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारण उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) (मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को छोड़कर) 2. वर्तमान में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार एवं वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित अंतरिम आदेश से संबंधित विविध अपील। 3. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार/अपर सदस्य, एम.ए.सी.टी. धार द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे तथा उनके न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से प्राप्त आदेश निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	सत्र खण्ड धार तहसील-धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकार के सांपत्तिक एवं आपराधिक प्रकरण। 2. स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जो तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो एवं रिमांड, जमानत आवेदन पत्र। (माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना क्रमांक बी/1949 जबलपुर दिनांक 23.04.2025)
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। 3. रुपये दो करोड़ एक से पाँच करोड़ रुपये तक के Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 4. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकायें। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।

7.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार	सत्र खंड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण। 2. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरण। नोट :- मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरणों के प्रथम रिमांड की सुनवाई संबंधित आरक्षी केन्द्र के संबंधित न्यायालय द्वारा की जावेगी तत्पश्चात पत्रावली पंचम अपर सत्र न्यायालय, धार की ओर भेजी जावेगी।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र सागौर, पीथमपुर, पीथमपुर सेक्टर नं०-1 से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) (मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को छोड़कर) 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय जय-पत्र तथा आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 3. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे एवं द्वितीय जिला न्यायाधीश/सदस्य एम.ए.सी.टी. धार के द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे तथा उक्त न्यायालय/अधिकरण के प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले प्रकरण। 5. धार स्थापना पर रिक्त समस्त अपर/जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रशिक्षु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से प्राप्त आदेश निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ। 6. रुपये 1 से 2 करोड़ तक के Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. धार मुख्यालय स्थापना पर पूर्व/वर्तमान में पदस्थ एवं वर्ष 2025 में आगामी पदस्थ होने वाले समस्त Trainee Judge Dhar द्वारा पारित निर्णय जय पत्र, तथा आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 8. धार मुख्यालय स्थापना पर पूर्व में पदस्थ समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, धार एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील।
8.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	सत्र खण्ड धार तहसील- धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	1. आरक्षी केन्द्र धार, नौगांव व नालछा से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। (पक्षकारगण उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के निवासी हो अथवा दुर्घटना उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत घटित हुई हो) (मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को छोड़कर) 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार को छोड़कर शेष समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं वर्ष 2025

			में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय जय-पत्र तथा आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 3. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।
9.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर	सत्र खंड धार	1. तहसील बदनावर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र बदनावर व कानवन से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 4. बदनावर तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील बदनावर	1. पुराने भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 2. रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 3. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्प्रतिक प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र बदनावर एवं कानवन से उत्पन्न क्लेम प्रकरण। दुर्घटना आरक्षी केन्द्र बदनावर व कानवन के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण आरक्षी केन्द्र बदनावर के क्षेत्राधिकार के निवासी हो। 5. बदनावर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 6. बदनावर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 7. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय, पूर्व में स्थापित श्रृंखला न्यायालय बदनावर एवं अपर जिला न्यायाधीश, बदनावर एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बदनावर, सदस्य एम.ए.सी.टी. बदनावर द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड एवं आदेश से उत्पन्न होंगे तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से प्राप्त आदेश निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ। 8. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 9. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियाँ। 10. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा- 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये।

			11. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत तहसील बदनावर से संबंधित प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। 12. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण। 13. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 14. गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 15. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 16. भाडा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपील। 17. म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा-20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें।
10.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुशी।	सत्र खंड, धार।	1. तहसील कुशी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र कुशी/टांडा से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन-पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 4. कुशी तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील कुशी एवं डही	1. पुराने भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 2. माह जनवरी से जून तक के रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 3. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्प्रतिक प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र डही एवं बाग से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 5. कुशी तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 6. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं कुशी में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त अपर-जिला न्यायाधीश एवं फास्टट्रेक-कुशी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 8. गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 10. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं

			दर्शाये गये है। 11. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण।
11.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी।	सत्र खंड, धार।	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र डही एवं बाग से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार। 3. कुक्षी एवं डही तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
		तहसील कुक्षी एवं डही	1. माह जुलाई से दिसंबर तक के रुपये एक करोड़ एक से अधिक के मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 2. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्प्रतिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र कुक्षी एवं टांडा से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 4. कुक्षी तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 5. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 6. भाडा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपील। 7. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 8. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। 9. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा- 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। 10. म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा-20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाये।
12.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।	सत्र खंड, धार	1. आरक्षी केन्द्र अमझोरा से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील-सरदारपुर	1. माह जुलाई से दिसंबर तक रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 2. आरक्षी केन्द्र अमझोरा से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 3. सरदारपुर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपील। 4. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के

			न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 5. समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल प्रकरण।
13.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।	सत्र खंड, धार	1. आरक्षी केन्द्र सरदारपुर के समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 3. तहसील सरदारपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आप. अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आप. अपील एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 4. सरदारपुर तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील सरदारपुर	1. आरक्षी केन्द्र सरदारपुर से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 2. म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा-20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएँ। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। 4. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं सरदारपुर में पूर्व में पदस्थ रहे रिक्त समस्त अपर/जिला न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 5. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपील। 6. लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। 7. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियाँ। 8. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएँ। 9. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लाज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। 10. हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ। 11. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 12. गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
14.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर	सत्र खंड, धार	1. आरक्षी केन्द्र राजोद व राजगढ़ से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन, एवं अन्य प्रकरण। 3. सरदारपुर तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियाँ। (माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना कमांक बी/1947 जबलपुर दिनांक 23.04.2025)

		तहसील सरदारपुर	1. माह जनवरी से जून तक रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 2. आरक्षी केन्द्र राजोद व राजगढ़ से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के निवासी हो) 3. ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। 5. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। 6. तहसील सरदारपुर के पुराने भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. सरदारपुर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ट्रेनी जज द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील।
15.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	सत्र खंड, धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन और अन्य प्रकरण। 2. तहसील मनावर एवं गंधवानी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आप. अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आप. अपील एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार से होगा। 3. आरक्षी केन्द्र मनावर से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार।
		तहसील – मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	1. माह जुलाई से माह दिसम्बर तक रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद एवं समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्प्रतिक प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र गंधवानी से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के निवासी हो) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले दीवानी प्रकरण। 3. मनावर तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ट्रेनी जज द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 4. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे।
16.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र गंधवानी से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार।
		तहसील-मनावर एवं राजस्व	1. तहसील मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी के पुराने भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण

		तहसील गंधवानी	अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। - माह जनवरी से माह जून तक रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद एवं समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्प्रतिक प्रकरण। - आरक्षी केन्द्र मनावर से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुध टिना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के निवासी हो) - मनावर तहसील स्थापना पर पूर्व/वर्तमान में पदस्थ एवं वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा न्यायाधिकारी ग्रांथ न्यायालय मनावर द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। - विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। - भाडा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपील। - लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। - विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। - पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा- 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। - भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। - गार्जियन एंड वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। - म.प्र. नगरपालिका अधि. 1981 की धारा-20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। - हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। - अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं। - Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण।
17.	अतिरिक्त प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनावर	सत्र खण्ड धार	- मनावर एवं गंधवानी तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। - सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। - मनावर एवं गंधवानी तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विधुत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां। (माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना कमांक बी/1947 जबलपुर दिनांक 23.04.2025)
		तहसील- मनावर एवं राजस्व तहसील गंधवानी	- समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण। - विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे।
18.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,	सत्र खंड, धार	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण।

	धरमपुरी।		2. तहसील धरमपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, आप. अपील, रिवीजन की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई। सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं रिवीजन के पंजीयन एवं वितरण का कार्य मुख्यालय धार में होगा। 3. आरक्षी केन्द्र धरमपुरी से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार। 4. धरमपुरी तहसील के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधि. 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां। (माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर अधिसूचना क्रमांक बी/1947 जबलपुर दिनांक 23.04.2025) 5. धरमपुरी तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों के पाक्सों एक्ट से संबंधित ज्यूडिशियल रिमांड एवं पुलिस रिमांड सहित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
		तहसील— धरमपुरी	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। 2. धरमपुरी तहसील में पूर्व में पदस्थ (Not shown in this memo) एवं वर्तमान में पदस्थ और वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ट्रेनी जज के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। 3. आरक्षी केन्द्र धरमपुरी से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के निवासी हो) 4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. 1981 की धारा-20 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें। 5. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के प्रस्तुत प्रकरण। 6. विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से प्राप्त कार्यवाहियाँ। 7. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।
19.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी के न्यायालय के अति० न्यायाधीश, धरमपुरी	सत्र खण्ड धार	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, रिवीजन एवं अन्य प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र धामनोद से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई का अधिकार।
		तहसील —धरमपुरी	1. तहसील धरमपुरी के पुराने भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं नवीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 2. माह जनवरी से जून तक रुपये एक करोड़ एक से अधिक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद। एवं समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले अन्य साम्प्रतिक प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र धामनोद, से उत्पन्न प्रस्तुत क्लेम प्रकरण। (दुर्घटना संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में घटित हुई हो अथवा पक्षकारगण संबंधित आरक्षी केन्द्र के निवासी हो) 4. धरमपुरी तहसील स्थापना पर पूर्व/वर्तमान में पदस्थ एवं वर्ष 2025 में पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं आदेश के विरुद्ध

			प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपील। - विविध प्रकरण व प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होंगे। - भाडा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपील। - लोक परिसर बेदखलीय अधि. के अधीन पारित आदेशों की अपील। - विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधि. के अन्तर्गत प्रकरण व उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। - पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-27 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाये। - भारतीय उत्तराधिकार अधि. के पार्ट-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। - गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। - हिन्दू विवाह अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। - अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये है।
20.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार।	राजस्व तहसील धार एवं राजस्व तहसील पीथमपुर	- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले प्रकरण। - विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड व आदेश से उत्पन्न होंगे।
21.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर राजस्व तहसील बदनावर	- धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। - सिविल कोर्ट एक्ट की धारा-9 के अन्तर्गत रुपये 1,000/- तक लघुवाद प्रकरण। - इंसालवेंसी एक्ट के अन्तर्गत रुपये पांच लाख एक से एक करोड़ रु. तक के प्रकरण। - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। - विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों। - समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सांपत्तिक प्रकरण। - रु. पांच लाख एक से एक करोड़ तक के मूल्यांकन के साम्पत्तिक/इंसाल्वेंसी वाद तथा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्पत्तिक प्रकरण। - धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। - लघुवाद प्रकरण रु. 1000/- तक मूल्यांकन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा-9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। - विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के

			द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बदनावर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।
22.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, धार।	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 से संबंधित साम्प्रतिक प्रकरण एवं समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 2. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
23.	द्वितीय अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों। 2. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण।
24.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. रुपये पांच लाख एक से एक करोड़ रु. तक मूल्यांकन के समस्त साम्प्रतिक वाद एवं आवेदन पत्र। 2. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 3. सिविल कोर्ट एक्ट की धारा-9 के अन्तर्गत रुपये 1,000/- तक लघुवाद प्रकरण। 4. इंसालवेंसी एक्ट के अन्तर्गत रुपये पांच लाख एक से एक करोड़ रु. तक के प्रकरण। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 6. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 7. रुपये एक से एक करोड़ रु. तक के धार तहसील के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के सिविल जज के न्यायालय से प्राप्त हो। 8. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।
25.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धार (वरिष्ठ खण्ड)	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले प्रकरण। 2. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड व आदेश से उत्पन्न होंगे।
26.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील धार एवं पीथमपुर	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रुपये एक से पाँच लाख तक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी प्रकरण। 2. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल प्रकरण। 3. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।

27.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील— धार एवं पीथमपुर	1. माह जनवरी से जून तक रुपये एक से पाँच लाख तक मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी प्रकरण। 2. समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल प्रकरण। 3. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।
28.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार	राजस्व तहसील— धार एवं पीथमपुर	1. समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल प्रकरण। 2. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों। 3. धार स्थापना पर पूर्व में पदस्थ समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, प्रशिक्षु न्यायाधीश द्वारा निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण तथा अपील न्यायालय के आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।
29.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	राजस्व तहसील सरदारपुर	समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण।
30.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर	राजस्व तहसील सरदारपुर	1. रुपये एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 2. रुपये एक से एक करोड़ रुपये तक के इंसालवेंसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग—10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 4. लघुवाद प्रकरण रु. 1000/ तक मूल्यांकन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा—9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। 5. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 6. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर एवं पूर्व में पदस्थ समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सरदारपुर द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों। 7. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरदारपुर के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।
31.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	राजस्व तहसील कुक्षी एवं डही	1. माह जनवरी से जून तक रुपये एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 2. माह जनवरी से जून तक रुपये एक से एक करोड़ रुपये तक के इंसालवेंसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील।

			4. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 6. लघुवाद प्रकरण रु. 1000/- तक मूल्यांकन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा-9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है।
32.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	राजस्व तहसील कुक्षी एवं डही	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रुपये एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 2. माह जुलाई से दिसम्बर तक रुपये एक से एक करोड़ रुपये तक के इंसालवेंसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ। 4. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।
33.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी।	राजस्व तहसील धरमपुरी	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले प्रकरण।
34.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी	राजस्व तहसील धरमपुरी	1. रु. पाँच लाख एक से एक करोड़ तक के मूल्यांकन के साम्प्रतिक वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 2. रु. पाँच लाख एक से एक करोड़ तक के इंसालवेंसी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 4. लघुवाद प्रकरण रु. 1000/- तक मूल्यांकन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा-9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। 5. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 6. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।
35.	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धरमपुरी	राजस्व तहसील धरमपुरी	1. एक से पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सांप्रतिक वाद एवं इंसालवेंसी प्रकरण। 2. समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 3. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय से उत्पन्न हो एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा

			दिये गये आदेश/निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्तवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ। 4. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्तवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।
36.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर।	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. रु. पाँच लाख एक से एक करोड़ तक के मूल्यांकन के साम्प्रतिक/इंसांल्वेंसी वाद तथा समय समय पर अन्तरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 3. लघुवाद प्रकरण रु. 1000/ तक मूल्यांकन के जिनकी सुनवाई हेतु धारा-9 सिविल कोर्ट एक्ट के अन्तर्गत अधिकृत है। 4. धारा 139 एवं 172 नगरपालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपील। 5. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्तवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।
37.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर।	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले प्रकरण। 2. विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, अवार्ड व आदेश से उत्पन्न होंगे।
38.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रु. एक से पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सांप्रतिक वाद एवं इंसांल्वेंसी प्रकरण। 2. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सांप्रतिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्तवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।
39.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. माह जनवरी से जून तक रु. एक से पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सांप्रतिक वाद एवं इंसांल्वेंसी प्रकरण। 2. समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सांप्रतिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चात्तवर्ती समस्त कार्यवाहियाँ।

40.	पीठासीन अधिकारी ग्राम न्यायालय मनावर	राजस्व तहसील मनावर एवं गंधवानी	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित साम्प्रतिक प्रकरण एवं समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 2. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हो।
41.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर	राजस्व तहसील बदनावर	समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक प्रकरण।
42.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर	राजस्व तहसील बदनावर	1. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सांप्रतिक प्रकरण। 2. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा एवं पूर्व में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।
43.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर	राजस्व तहसील बदनावर	1. माह जनवरी से जून तक रु. एक से पाँच लाख तक के मूल्यांकन तक के सांप्रतिक/इंसाव्वेंसी वाद 2. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सांप्रतिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।
44.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बदनावर	राजस्व तहसील बदनावर	1. माह जुलाई से दिसम्बर तक रु. एक से पाँच लाख तक के मूल्यांकन तक के सांप्रतिक/इंसाव्वेंसी वाद 2. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सांप्रतिक प्रकरण। 3. विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण जो स्वयं के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न अन्य पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियों।

टिप्पणी :-

- (अ) धार में पदस्थ विशेष न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के अधीन पूर्व में निपटाये गये आवेदन पत्र के पश्चात् पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर या मामले के सह-अभियुक्त के आवेदन प्रस्तुत होने पर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति या अवकाश काल में ऐसे आवेदन सुनवाई एवं निराकरण हेतु जैसी भी स्थिति हो कमशः विशेष न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई एवं निराकरण हेतु रखे जावेगे।
- (ब) जिला मुख्यालय धार में जब भी सत्र न्यायाधीश अवकाश पर रहेंगे तब उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों में वे जमानत आवेदन पत्र जो पूर्व में किसी अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किये गये होंगे तथा उसी मामले में प्रस्तुत सह अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र भी स्वमेव उसी न्यायाधीश को अंतरित हो जावेगें, जिनके द्वारा पूर्ववर्ती जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया है।
- (स) सत्र न्यायाधीश के अवकाश/निरंतर अवकाश (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश सहित) के दौरान लंबित सभी जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण निम्नानुसार किया जावेगा :-

प्रथम दिवस के अवकाश पर	अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, धार
------------------------	---

	(अंतर्गत-अ0जा/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधि.)
द्वितीय दिवस के अवकाश पर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार
तृतीय दिवस के अवकाश पर	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, धार
चतुर्थ दिवस के अवकाश पर	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, धार
पंचम दिवस के अवकाश पर	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, धार
षष्ठम दिवस के अवकाश पर	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार
सप्तम दिवस के अवकाश पर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश धार

नोट :-

1. सत्र न्यायाधीश के उपरोक्त अवधि से अधिक दिवस के अवकाश पर रहने की दशा में इसी क्रमानुसार जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा।
2. इस दौरान प्रभारी अधिकारी के भी अवकाश पर रहने की स्थिति में उपरोक्त तालिकानुसार कमवर्ती आगामी पीठासीन अधिकारी जमानत आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे।
3. यदि प्रभारी अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र में किन्ही परिस्थितियों में आगामी दिनांक नियत की जाती हैं तो ऐसे जमानत आवेदन पत्रों की आगामी दिनांक पर सुनवाई एवं निराकरण उसी प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा, जिनके द्वारा उसमें आगामी पेशी नियत की गई थी। आकस्मिक कारण से उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर सुनवाई एवं निराकरण कमवर्ती न्यायाधीश करेंगे और उक्त जमानत आवेदन पत्र उनके कम में सम्मिलित होगा।
4. इस दौरान यदि एक ही अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र सुनवाई हेतु नियत होता है तो वह प्रथम जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई करने वाले न्यायालय को स्वमेव अंतरित हो जावेगा और उसकी सुनवाई उसी न्यायाधीश (यदि वह मुख्यालय पर पदस्थ है) के द्वारा की जायेगी जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया है। **इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम क्रमांक 161/जबलपुर, दिनांक 13-12-2021 में पारित निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।**
5. इसी प्रकार सहअभियुक्त से संबंधित जमानत आवेदन-पत्र भी पूर्व अभियुक्त की सुनवाई वाले न्यायालय में स्वमेव अंतरित हो जावेगा।
6. ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिनकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के दौरान इंचार्ज सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई हो, उसी अपराध के सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र या उसी अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर यदि सुनवाई दिनांक को पुनः सत्र न्यायाधीश अवकाश पर रहते हैं तो ऐसे जमानत आवेदन पत्र स्वमेव उसी न्यायाधीश के यहाँ अंतरित होंगे, जिन्होंने इंचार्ज सत्र न्यायाधीश की हैसियत से पूर्व जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया है।
7. एक ही अपराध से संबंधित ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिनमें अभियुक्त/सहअभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र पूर्व में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश धार द्वारा निराकृत किया गया हो, ऐसा जमानत आवेदन पत्र सुनवाई दिनांक को यदि किसी अन्य न्यायालय में अंतरित हो जाता है और संबंधित न्यायाधीश के संज्ञान में यह तथ्य आ जाता है तो उक्त न्यायाधीश पूर्व में जिस न्यायालय से जमानत आवेदन पत्र निराकृत हुआ हो, उस न्यायालय को आदेश पत्रिका में संपूर्ण उल्लेख करते हुए सुनवाई हेतु स्वमेव प्रेषित कर, सूचना सत्र न्यायाधीश को भेजेंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सुनवाई दिनांक को पूर्व निराकृत जमानत आवेदन पत्र से संबंधित न्यायालय का पद रिक्त रहता है तो जिस न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र अंतरित हुआ हो उस न्यायालय द्वारा ही उसकी सुनवाई की जायेगी।
8. ऐसे जमानत आवेदन पत्र जो किसी न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित हुए हैं और उक्त न्यायालय के न्यायाधीश मुख्यालय पर उपस्थित होते हुए मीडिएशन कार्यवाही, ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी शासकीय कार्य में मुख्यालय पर उपस्थित रहते सम्पूर्ण दिवस के लिये व्यस्त हो तो ऐसे जमानत आवेदन पत्र

की सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम क्रमांक 161/जबलपुर, दिनांक 13-12-2021 में पारित निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

- (द) ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन व अन्य प्रकृति तथा पीठासीन अधिकारी की मुख्यालय पर अनुपस्थिति के अवकाश के दौरान तथा पीठासीन अधिकारी का अन्यथा कारणों से पद रिक्त रहने के दौरान प्रस्तुत किये गये सिविल प्रकरण एवं आपराधिक प्रकरण जिसमें अत्यावश्यक सहायता मांगी गई है, का निपटारा भी संबंधित प्रभारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा। इसके लिए पृथक से प्रधान जिला न्यायाधीश की अनुमति लेना आवश्यक नहीं रहेगी।
- (इ) तहसील स्थापना पर ऐसे जमानत आवेदन पत्र जो कार्यविभाजन पत्रक अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत हुए हो और उक्त न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश पर रहने या अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त जमानत आवेदन पत्र का निराकरण प्रभारी न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है तो उसी अपराध से संबंधित अन्य अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र कार्यविभाजन पत्रक अनुसार मूल न्यायालय में प्रस्तुत होता है और न्यायाधीश उपलब्ध है तो उसका निराकरण उनके द्वारा ही किया जायेगा। किन्तु यदि पूर्व अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो उक्त आवेदन पत्र का निराकरण पूर्व आवेदन पत्र का निराकरण करने वाले न्यायाधीश द्वारा ही किया जायेगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम क्रमांक 161/जबलपुर, दिनांक 13-12-2021 में पारित निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।
- (एफ) धार व्यवहार जिले में पदस्थ किसी न्यायाधीश के ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अथवा अन्य प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य उनके सम्मुख दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा निपटाया जावेगा। साथ ही धारा 10(3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत सत्र न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में अर्जेंट (आवश्यक) आवेदनों का निराकरण किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :- (क्रमानुसार अर्थात् कार्य विभाजन पत्रक के क्रम अनुसार प्रभारधारी।)

क्र.	पदाधिकारी	कार्यभारित अधिकारी
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.) धार, की अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार एवं अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
2	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धार, की अनुपस्थिति में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.) धार, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश।
3	प्रथम जिला न्यायाधीश धार के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत धारा अनुसूचित जाति/जनजाति) धार	मात्र अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का अत्यंत अत्यावश्यक कार्य सत्र न्यायाधीश, धार तथा अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश। अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सहित शेष अन्य प्रकरणों का संपूर्ण कार्य पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।

4	विशेष न्यायाधीश अंतर्गत धारा अनुसूचित जाति/ जनजाति धार एवं विशेष न्यायाधीश एन.डी. पी.एस. एक्ट का <u>(पद रिक्त होने की स्थिति में)</u>	एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित अत्यंत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, धार तथा उनकी अनुपस्थिति में <u>वरिष्ठता के क्रमानुसार</u> अपर सत्र न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार। अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अत्यंत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, धार तथा उनकी अनुपस्थिति में <u>वरिष्ठता के क्रमानुसार</u> वरिष्ठता के क्रमानुसार अपर सत्र न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार एवं सभी की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार। नोट :- उक्त व्यवस्था विशेष न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश के भी अवकाश पर रहने पर भी प्रभावशील होगी।
5	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	1. मात्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का <u>अत्यंत अत्यावश्यक</u> कार्य सत्र न्यायाधीश, धार तथा अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश। 2. <u>भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संबंधित प्रकरणों सहित शेष अन्य प्रकरणों का संपूर्ण कार्य</u> पंचम अपर सत्र न्यायाधीश धार, अनुपस्थिति में प्रथम जिला न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अधि0 अनुसूचित जाति/जनजाति) धार अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
6	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार। अनुपस्थिति में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार। अनुपस्थिति में पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार। अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
7	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
8	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	1-एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित प्रकरणों में <u>अत्यंत अत्यावश्यक</u> कार्य सत्र न्यायाधीश, धार तथा अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश। 2-तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
9	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
10.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धार	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।

Desktop/SW section/Dis-Memo/DM 2025

38.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कुक्षी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर, अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
39.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी, अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
40.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी, अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
41.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
42.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनावर अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
43.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर अनु० में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
44.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर अनु० में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
45.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धरमपुरी अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनावर अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
46.	समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश, धार	उपस्थित वरिष्ठतम/वरिष्ठ प्रशिक्षु न्यायाधीश अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
47.	समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश, तहसील स्थापना समस्त	उपस्थित वरिष्ठतम/वरिष्ठ प्रशिक्षु न्यायाधीश अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अनुपस्थिति में कमानुसार प्रभारधारी/वरिष्ठ न्यायाधीश।
नोट :- जिला न्यायाधीश संवर्ग एवं व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग के न्यायाधीश की नवीन पद पर पदस्थापना होने पर कार्यविभाजन पत्रक में प्रभार आवंटित होने तक स्थापना पर उस संवर्ग के वरिष्ठ न्यायाधीश उक्त न्यायालय के प्रभारधारी रहेंगे।		

टिप्पणी :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धार, विशेष न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/द्वितीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, धार इनकी अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुक्षी/मनावर/सरदारपुर/धरमपुरी तथा सभी की अनुपस्थिति में धारा 10, (3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत अत्यावश्यक आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धार द्वारा तथा इनकी अनुपस्थिति में प्रभारधारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाये जायेंगे।

2. पूर्व में पदस्थ निम्न न्यायालय द्वारा आपराधिक एवं दीवानी प्रकरणों (क्लेम प्रकरणों सहित) में पारित निर्णय एवं जयपत्र या आदेश के बाबद प्रस्तुत होने वाले प्रवर्तन व अन्य प्रकरण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से कोई आदेश निर्णय या निर्देश पत्र प्राप्त होते हैं उनका पालन एवं पश्चात्पूर्ति कार्यवाही एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित अवार्ड आदि की राशि का भुगतान/पालन

उनके नाम के सम्मुख दर्शाये न्यायालय एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार **कमानुसार प्रभारधारी न्यायालय द्वारा** किया जायेगा :-

क्र.	रिक्त न्यायालय का नाम (रिक्त समस्त पूर्व में प्रथम/द्वितीय...../अति0 न्यायालय आदि सम्मिलित है)	प्रभारधारी न्यायालय का नाम
1	रिक्त समस्त नियमित एवं प्रशिक्षु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार
2	रिक्त समस्त, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धार,	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार
3	रिक्त समस्त, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार प्रशिक्षु न्यायाधीश, सहित।	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धार
3	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनावर। (फास्ट ट्रेक न्यायालय सहित)	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर।
4	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी (फास्ट ट्रेक न्यायालय सहित)	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी।
5	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदनावर (शृंखला न्यायालय सहित)	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर
6	रिक्त समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर।
7	रिक्त, समस्त पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी	अति0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी।
8	रिक्त, समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी
9	रिक्त, समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बदनावर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार
10	रिक्त, समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी
11	रिक्त समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धरमपुरी
12	रिक्त समस्त पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर
13	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी
14	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बदनावर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बदनावर।
15	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धरमपुरी	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, धरमपुरी
16	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मनावर
17	रिक्त समस्त पूर्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सरदारपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरदारपुर

03. अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत जिला धार के प्रस्तुत होने वाले समस्त जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश के अवकाश अथवा अन्य की प्रकार की अनुपस्थिति की स्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार एवं उनकी अनुपस्थिति में धार मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धार द्वारा सुने जावेंगे तथा अन्य प्रकरणों का प्रभार प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धार के पास रहेगा।

04. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य सत्र न्यायाधीश, धार एवं उनके अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में कमानुसार प्रभारी न्यायाधीश/वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास रहेगा।

05. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले लंबित प्रकरणों का अति आवश्यक कार्य विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, धार की अनुपस्थिति में सत्र न्यायाधीश, धार तथा उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।

06. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अति आवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा :-

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003)

विशेष न्यायाधीश, धार एवं बदनावर (विद्युत अधिनियम)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धार अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।
विशेष न्यायाधीश सरदारपुर (विद्युत अधिनियम)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।
विशेष न्यायाधीश मनावर (विद्युत अधिनियम)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।
विशेष न्यायाधीश, कुक्षी (विद्युत अधिनियम)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।
विशेष न्यायाधीश धरमपुरी (विद्युत अधिनियम)	अति० अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी अनुपस्थिति में क्रमानुसार प्रभारधारी न्यायाधीश।

07. क्लेम प्रकरणों में अधिनिर्णय अनुसार जमा राशियों का भुगतान किसी भी कारण से रिक्त न्यायालय के संबंध में संबंधित रिक्त न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के द्वारा अत्यावश्यक कार्य स्वरूप निष्पादित किया जावेगा।

08. धार मुख्यालय पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड एवं पश्चात के रिमांड एवं अभियोग पत्र पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार में तथा अनुपस्थिति में कार्यभारित अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। सार्वजनिक अवकाश की अवधि में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, रिमांड न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा।

09. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड एवं पश्चात के रिमांड एवं अभियोग पत्र भी पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, धार में तथा अनुपस्थिति में कार्यभारित अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। सार्वजनिक अवकाश की अवधि में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, रिमांड न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा।

10. इसी प्रकार **सरदारपुर** तहसील स्थापना पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर, **बदनावर** तहसील स्थापना पर अपर सत्र न्यायाधीश, बदनावर, **कुक्षी** तहसील स्थापना पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कुक्षी, **धरमपुरी** तहसील स्थापना पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, धरमपुरी एवं **मनावर** तहसील स्थापना पर अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर को आपराधिक क्षेत्राधिकारधारी पाक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त न्यायाधीशगण के न्यायालय में संबंधित तहसीलों के समस्त आरक्षी केन्द्रों के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, पश्चात के रिमांड एवं अभियोग पत्र प्रस्तुत होंगे जिनके पंजीयन की कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा की जावेंगी और उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र भी उन्हीं के न्यायालय में

प्रस्तुत होंगे, जिसका निराकरण भी वे विधि अनुसार करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में कार्यभारित अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जावेगी। मात्र कार्यभारित अधिकारी के भी अवकाश पर रहने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र की सुनवाई वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, एवं सार्वजनिक अवकाश की अवधि में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम रिमांड, रिमांड न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि पाक्सों एक्ट से संबंधित प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र दर्ज/अंतरण के लिये सत्र न्यायाधीश, धार की ओर प्रेषित नहीं किये जाकर सीधे संबंधित न्यायालय में ही दर्ज होंगे व आगामी संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जावेगी।

11. **समस्त धार जिला :-** मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरणों के प्रथम रिमांड की सुनवाई संबंधित आरक्षी केन्द्र के संबंधित न्यायालय द्वारा की जावेगी तत्पश्चात पत्रावली पंचम अपर सत्र न्यायालय, धार की ओर भेजी जावेगी। इसके पश्चात के रिमांड की कार्यवाही एवं अभियोग पत्र प्रस्तुती द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, धार में होगी। अभियोग पत्र सत्र पंजी में पंजीबद्ध होगा।

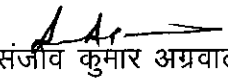
12. रिक्त न्यायालय होने की स्थिति में उक्त रिक्त न्यायालयों में संधारित समस्त प्रकार की पंजीयों (अर्थदण्ड पंजी, चालान पंजी, भुगतान पंजी, दायरा, आदि समस्त पंजीयों) को उनके प्रभारधारी न्यायालय द्वारा आवश्यक रूप से प्राप्त किया जायें। रिक्त न्यायालय की पुनः स्थापना होने की स्थिति में प्राप्त पंजीयां पुनः संबंधित न्यायालय के कार्यभार ग्रहण करने पर वापस लौटायी जाये।

13. जिला न्यायाधीश संवर्ग के न्यायालय से यदि सिविल प्रभार समाप्त किया जाता है तो उक्त न्यायालय/अधिकरण के, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों/भू अर्जन प्रकरणों/अन्य प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान से संबंधित समस्त पंजीयों/समस्त पत्रावलीयों, जमा राशि के भुगतान/अन्य कार्यवाही हेतु प्रभारधारी न्यायालय को सौपेगे और प्रभारधारी न्यायालय द्वारा राशि के भुगतान आदि का समस्त कार्य किया जायेगा। यदि संबंधित न्यायालय/अधिकरण को पुनः सिविल प्रभार सौपा जाता है तो प्रभारधारी न्यायालय उक्त अधिकरण से प्राप्त संबंधित पंजीयों उन्हें वापस लौटायेगे।

14. तहसील स्थापनाओं से मुख्यालय पर दर्ज एवं अंतरण आदेश हेतु प्रेषित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक रिक्वीजन की पत्रावलियों के अंतरण आदेश यदि सत्र न्यायाधीश के अवकाश, प्रशिक्षण, सेमीनार में रहने अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय पर नहीं होने से नियत दिनांक तक प्राप्त नहीं होते हैं तो, नियत दिनांक पर प्रकरण में संबंधित स्थापना के प्रथम प्रभारी अधिकारी द्वारा औपचारिक सुनवाई करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक नियत की जायेगी। (प्रथम प्रभारी जिनके न्यायालय में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रकरण की प्रस्तुति एवं प्रथम सुनवाई होती है)

15. धारा 21(4) व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त न्यायाधीशगण को अधिकृत किया जाता है कि वे ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान उनके न्यायालय अथवा प्रभार न्यायालय में लंबित सिविल प्रकरणों और नवीन प्रस्तुत होने वाले वाद/प्रकरण में यदि ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में सुनवाई के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो वे स्व-विवेक अनुसार उक्त आवेदन पत्र का निराकरण करें।

उक्त कार्य विभाजन पत्रक आज दिनांक : 28/04/2025 से आगामी नवीन कार्य विभाजन पत्रक जारी होने तक प्रभावशील होगा।


 (संजीव कुमार अग्रवाल)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 धार (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

पृ.क्र. 460 /SW_Diss Memo /2025

धार, दिनांक : 28 / 04 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. सचिव माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (जिला-धार), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इन्दौर।
3. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय धार,
5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
6. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/प्रशिक्षु न्यायाधीश, धार, सरदारपुर, बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी।
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, धार/बदनावर/सरदारपुर/मनावर/कुक्षी/धरमपुरी
9. सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेंट, धार की ओर उक्त पृष्ठांकन/ज्ञापन की प्रति समस्त न्यायाधीशगण एवं तहसील स्थापना के ई-मेल आय.डी. पर अपलोड किये जाने बाबद प्रेषित।

—00—

की ओर वर्ष 2025 के कार्य विभाजन पत्रक की प्रति सरल क्र. 01 व 02 की ओर सूचनार्थ एवं शेष सरल क्रमांक 3 से 9 के लिए पालनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार अग्रवाल)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धार (म.प्र.)